




अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या 414 / 2016-17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
३/११/२०२०	<p>अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा बलारडीह थाना सं0-284 के गत सर्वे खाता 65.83 खेसरा- 274,294,291 अंश रकबा -98.50डी0 से संबन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- <u>19/8/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी। </p>	
३१/१०/२०२०	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर इनके द्वारा बंगला केवाला संख्या-3431 दिनांक=01.03.1967 की छायाप्रति प्रस्तुत किया। साथ ही एक लगान रसीद दिनांक-10.02.1998 का दाखिल किया है। जो संबंधित खाता प्लॉट/ रकबा से मिलान नहीं खाता है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जांच कर स्पष्ट मन्तव्य की मॉग करे। अभिलेख दिनांक- <u>18/11/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी। </p>	
18/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्ध करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बलारडीह थाना सं0-284 के खाता-65.83 के खेसरा-274,294,291 रकबा-98.50डी0 भूमि की कायम जमाबन्दी सं0-223 जो रैयत द्वारिका प्रसाद साव के नाम कायम संदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाते की भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पूर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p>	

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4H) के तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं०-223 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।


अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।